न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 31/2017

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली अजमेर		1 चम्पालाल माली पुत्र सुगनाराम माली (विक्रेता एंव मालिक) मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी जैतारण 2 चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र श्री गोविन्द नारायण अरोडा मैसर्स श्रीजी ऐजेन्सी, पीपलिया बाजार, तालेरा मार्केट के पास, ब्यावर 3 मोहित श्रीरीश कुमार पटेल (नोमिनी) श्री भगवती फ्लोर एण्ड फुट प्रा0लि0 सर्व नं. 430, सर्खेज बावला हाईवे, मोरिया छागोदर तालु, सनन्द जिला अहमदाबाद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक 12/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 04.11.2015 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी, जैतारण से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां बिक्रि हेतु रखे हुए खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) में मिलावट का शक हुआ, इस पर 400 ग्राम के चार पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—410 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

को Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा मानक स्तर का खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसमें खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता नही पाई गई है। मात्र घोषणात्मक लेबल नही होने का आक्षेप लगाकर यह प्रकरण तैयार किया गया है, जबकि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा विश्लेषण रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया हो, जिससे अप्रार्थी द्वारा तैयार किया गया खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तरीय पाया जाता हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.2015 को अप्रार्थी की फर्म से खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–410 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./895/एक्ट/2015/970 दिनांक 10.12.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–410 को Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी बिल संख्या E/002741 दिनांक 08.10.2015 के जरिये खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) के 100 पैकेट विक्रय किये गये है, उनमें से 20 पैकेट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये बिल क्रमांक/3280 दिनांक 29.10.2015 के विक्रय किया है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आमजन को विक्रय हेतु अपनी दुकान पर रखा गया था। सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामग्री को क्रय किया गया है, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से क्रय किया है। मूलतः अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार किये हे, जो जांच में मिथ्याछाप पाये गये है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य खमण आटा (ब्राण्ड उत्तम उपहार) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रार्थी संख्या 1 पर 25000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये कुल तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 3 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली